

12³/₂₆

पत्रावली वाले कादेश पेश हुई।
पत्रावली का प्रवर्तन किया गया।
वकील इन्द्रपत्त इय काठ पर प्रदत्त
है कि दोनो पत्र प्रठ बाद के निस्तारण
तक मौके की प्रवासिनि कनाये रखेंगे
वकील इन्द्रपत्त की कदम पर मत
किया जाय (कादेश दिया जाय है कि
मौजा मोरपुर इ पत्रवार एकासंगरीण
की नाराजी नं. 518, 486 जी., 553/486
पर दोनो पत्रो के पांक्क किया जाय
है कि वे प्रठ बाद के निस्तारण तक
मौके की प्रवासिनि कनाये रखेंगे
पत्रावली के पर युक्त ले का नम्बर
के काय हो

सहायक कलेक्टर
यडीरावडी